जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 339वीं बैठक दिनांक 19.07.23 को प्रातः 12.15 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्रीमति नलिनी कठोतिया, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री जुगल किशोर मीणा, अतिरिक्त आयुक्त, (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री बाबूलाल गोयल, अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (एमपी) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजेश वर्मा, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:–

1. श्री प्रसून चतुर्वेदी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बलवंत सिंह लिग्री, उपायुक्त जोन–04, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी, उपायुक्त जोन–07, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री शेरसिंह लुहाडिया, उपायुक्त जोन–08, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मानसिंह मीणा, उपायुक्त जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राधेश्याम मीणा, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री राष्ट्रदीप यादव, उपायुक्त जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री हरफुल पंकज, उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री सुरेश चौधरी, उपायुक्त जोन–पी.आर.एन.–एस–1, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री विरेन्द्र कुमार मीणा, उपायुक्त जोन–19, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री उदय सिंह वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री मन मोहन गौतम, सहायक नगर नियोजक, जोन–07, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री दिलीप आहूजा, नगर नियोजक सहायक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
16. श्री सचिन राय शाक्या, अरबन प्लानर, जोन–02, जविप्रा, जयपुर।
17. सुश्री बलविन्दर कौर, अरबन प्लानर, जोन–08, जविप्रा, जयपुर।
18. सुश्री वर्षा सिंघल, वास्तुविद, पी.आर.एन. दक्षिण, जविप्रा, जयपुर।
19. श्री अविरल दिक्षित, वास्तुविद, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
20. श्रीमती शबनम खान, वास्तुविद, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
21. श्री आदित्य पंवार, वास्तुविद, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
22. अरबन प्लानर/वास्तुविद–बीपीसी (एलपी), जोन– बीपीसी (एलपी), 04, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा संख्या:–57 (339/19.07.2023)–(जोन–14)

विषय:–आवासीय योजना रियासत ईको पार्क मानचित्र अनुमोदन बाबत्।						जोन–14
आवेदन एवं राजस्व सबंधित बिन्दु						
क्र.सं.	बिन्दु		विवरण			पृष्ठ संख्या
1.	आवेदक का नाम		न्यू पाथ डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये डजिगनेटड पार्टनर श्रीमती सुमन धाकड			–
2.	प्रस्तावित योजना के ग्राम, खसरा नं. व क्षेत्रफल		ग्राम भाटेड़ तहसील सांगानेर, जयपुर के ख.नं. 952/2, 953, 954, 955, 956, 959, 948, 949, 950, 951, 952/1, 957, 966, 967, 972, 973/1660, 968, 969, 970, 971, 983, 984 एवं ग्राम बासडी जोगिड़यान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 1175/271, 269, 1177/272, 270 कुल किता 26 रकबा 10.00 हैक्ट.			–
3.	जमाबंदी अनुसार किस्म एवं क्षेत्रफल	90ए से पूर्व ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर	खसरा नं.	क्षेत्रफल है0	किस्म	–
			952/2	0.24	बारानी–2	
			953	0.12	बारानी–2	
			954	0.03	बारानी–2	
			955	0.39	बारानी–2	
			956	0.34	बारानी–2	
			959	0.04	चाही–2	
			948	0.47	बारानी–2	
			949	0.24	बारानी–2	

			950	0.38	जाव–2 चाही–2	
			951	0.12	बारानी–2	
			952/1	0.34	बारानी–2	
			957	0.56	चाही–2	
			966	0.08	बंजड–1	
			967	0.52	चाही–2	
			972	0.73	बारानी–1	
			973/1660	0.03	गै.मु.रास्ता	
			968	0.12	चाही–2	
			969	0.34	चाही–2	
			970	0.07	बंजड–1	
			971	0.01	बंजड–1	
			983	0.28	बारानी–1	
			984	0.03	बारानी–1	
		ग्राम बासडी जोगियान तह. माधोराजपुरा	1175/271	2.0798	बंजड–1	
			269	0.3161	बारानी–3	
			1177/272	2.1241 में से 2.0341	बारानी–3	
			270	0.2023 में से 0.09	गै.मु.रास्ता	
			कुल किता 26	कुल रकबा 10.00 हैक्ट.		
		90ए के पश्चात् ग्राम वाटिका तह. सांगानेर	खसरा नं.	क्षेत्रफल है0	किस्म	–
			952/2	0.24	आवासीय प्रयोजनार्थ	
			953	0.12		
			954	0.03		
			955	0.39		
			956	0.34		
			959	0.04		
			948	0.47		
			949	0.24		
			950	0.38		
			951	0.12		
			952/1	0.34		
			957	0.56		
			966	0.08		
			967	0.52		
			972	0.73		
			973/1660	0.03		
			968	0.12		
			969	0.34		
			970	0.07		
			971	0.01		
			983	0.28		
			984	0.03		
			1175/271	2.0798		
			269	0.3161		
			1177/272	2.1241 में से 2.0341		
			270	0.2023 में से 0.09		
			कुल किता 26	कुल रकबा 10.00 हैक्ट.		

4.	प्रस्तावित योजना के 90–ए/ 90–बी आदेश दिनांक, क्षेत्रफल व आवेदक का नाम	ग्राम भाटेड़ तहसील सांगानेर, जयपुर के ख.नं. 952/2, 953, 954, 955, 956, 959, 948, 949, 950, 951, 952/1, 957, 966, 967, 972, 973/1660, 968, 969, 970, 971, 983, 984 एवं ग्राम बासडी जोगिडयान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 1175/271, 269, 1177/272, 270 कुल किता 26 रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि की धारा 90ए के आदेश दिनांक 13.07.2023 को न्यू पाथ डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये डजिगनेटड पार्टनर श्रीमती सुमन धाकड के पक्ष में पारित किया गया है।	—
5.	90–ए/90–बी में वर्णित प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	—
6.	आवेदित उपयोग	आवासीय प्रयोजन	—
7.	आवेदित ले–आउट, 90–ए/ 90–बी में वर्णित प्रयोजन के अनुरूप है अथवा नहीं।	हॉ	—
8.	एकल भूखण्ड का ले–आउट है अथवा प्लाटेड ले–आउट है।	प्लाटेड ले–आउट	—
9.	एकल भूखण्ड ले–आउट/प्लाटेड ले–आउट/ ले–आउट संशोधन/मुख्यमंत्री जन आवास के प्रोविजन 3ए/3बी/3सी	प्लाटेड ले–आउट	—
मास्टर प्लान/जोनल प्लान से सबंधित बिन्दु			
10.	मास्टर विकास योजना–2011 के अनुसार भू–उपयोग	आवेदित भूमि का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण दर्शित है।	—
11.	मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार भू–उपयोग	मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 एच.आई.जेड दर्शित है।	—
12.	जोनल विकास योजना के अनुसार भू–उपयोग	जोनल विकास योजना–15 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 एच.आई.जेड दर्शित है।	—
13.	मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार प्रस्तावित सडक की चौडाई	मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जोनल विकास योजना–15 की 24 मीटर सड़क से प्रभावित है।	—
14.	आवेदित भूमि मास्टर/जोनल विकास योजना की सडक से प्रभावित है अथवा नहीं।		—
15.	यदि मास्टर/जोनल विकास योजना की सडक से प्रभावित हो तो, सडक से प्रभावित क्षेत्रफल के सबंध में विवरण।		
16.	सेक्टर कॉमर्शियल से प्रभावित है अथवा नहीं।	मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित नहीं है।	—
17.	मास्टर प्लान डीपीसीआर के प्रावधान	मास्टर विकास योजना–2025 की वॉल्यूम–4 डीपीसीआर के अनुसार यू–2 भू–उपयोग के अन्तर्गत Integrated Residential Township हेतु न्यूनतम 10 हैक्ट. भूमि एवं 30 मीटर सड़क होना आवश्यक है।	—
18.	मास्टर प्लान अनुसार आवेदित उपयोग अनुज्ञेय है अथवा नहीं।		
पंहुच मार्ग से सबंधित बिन्दु			
19.	विद्यमान पंहुच मार्ग की रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को लाखना से रामसिंहपुरा जाने वाली वी.टी. सड़क से लगते हुए खसरा संख्या 973 (गै.मु. रास्ता) स्वामित्व जविप्रा से होते हुए पहुँच मार्ग उपलब्ध है जिसका आर.ओ.डब्लयू. 12 मीटर से अधिक उपलब्ध है एवं जोनल प्लान–15 की प्रस्तावित 24 मीटर सड़क से प्रभावित है।	—
20.	आवेदित भूमि में से सटे हुए राजस्व रास्ता/विद्यमान रास्ता निकल रहा हो तो उसका विद्यमान एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार के संबंध में टिप्पणी।	आवेदित भूमि में से संलग्न सर्वे मानचित्र अनुसार खसरा न. 270 किस्म गै.मु. रास्ता (जविप्रा की भूमि) गुजर रहा है तथा आवेदित भूमि को पहुँच हेतु खसरा न. 973 किस्म गै.मु. रास्ते (जविप्रा की भूमि) की भूमि में से 12 मीटर सडक प्रस्तावित की गई है ।	—
मौका स्थिति से सबंधित बिन्दु			
21.	कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित सर्वे प्लान की प्रति एवं मौके पर निर्माण की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट।	जोन की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है।	—
22.	गूगल मानचित्र पर लोकेशन	संलग्न है।	—
23.	आसपास की अनुमोदित योजनाओं से सडकों के मिलान के संबंध में टिप्पणी एवं मानचित्र	संलग्न है।	—

24.	गैस पाईप लाईन/एचटी लाईन/रेलवे लाईन/ नाला/वाटर बॉडी से प्रभावित है अथवा नहीं।	जोन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित नहीं है।	—
टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान			
25.	टाउनशिप पॉलिसी 2002/ टाउनशिप पॉलिसी 2010/ CMJAY-2015 के अन्तर्गत	टाउनशिप पॉलिसी–2010	—

26. प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल/भू–उपयोग विश्लेषण (109/सी)

Sr. No.	LAND USE	AREA IN (SQ. MTR.)	(%)	
1.	RESIDENTIAL	50021.43	50.02	
2.	EWS & LIG	5122.62	05.13	
3.	INFORMAL COMM.	1201.86	01.20	
4.	PARK	5000.38	05.00	
5.	FACILITY	4471.49	4.47	20.00
6.	PUBLIC UTILITY	4472.28	4.47	
7.	ZDP ROAD	11057.11	11.06	
8.	S.W.M.	50.00	0.05	
9.	P.U. (TOILET)	10.02	0.01	
10.	MOBILE TOWER	40.07	0.04	
11.	ROAD	18552.74	18.55	
TOTAL SCHEME AREA		10000.00 (10.00 HECT.)	100.00	

27.	ले–आउट में क्षेत्रफल/भू–उपयोग विश्लेषण नियमानुसार है अथवा नहीं।	नियमानुसार है।	—
28.	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का प्रावधान है अथवा नहीं।	नियमानुसार प्रस्तावित है।	—
29.	एकल भूखण्ड के ले–आउट में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान।	लागू नहीं।	—
30.	मास्टर प्लान, जोनल प्लान सडक/एच.टी. लाईन/गैस पाईप लाईन के अन्तर्गत आ रही भूमि के एवज में सुविधा क्षेत्र में छूट चाही गई है अथवा नहीं।	नहीं।	—
31.	राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी है अथवा नहीं।	राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।	—

32. <u>जोन स्तरीय समिति की स्पष्ट अनुशंषाः</u>–पत्रावली के पैरा 32/एन पर की गई है।

33. <u>प्रकरण में बीपीसी (एलपी) द्वारा परीक्षण उपरांत शाखा के विचारणीय बिन्दु व प्रस्ताकः</u>–

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में यू–2(HIZ) दर्शित है। मास्टर विकास योजना–2025 की वॉल्यूम–4 डीपीसीआर के अनुसार यू–2(HIZ) भू–उपयोग के अन्तर्गत Integrated Residential Township हेतु न्यूनतम 10 हैक्ट. भूमि एवं 30 मीटर सड़क से पहुच मार्ग होना आवश्यक है। परन्तु बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक क्रमांक 318 दिनांक 10.06.2022 में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित यू–2 एवं यू–3 भू–उपयोग में Integrated Residential Township हेतु न्यूनतम 10 हैक्ट. भूमि एवं 24 मीटर सड़क से पहुच मार्ग मिलना आवश्यक है. आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 10 हैक्ट. एवं जोनल विकास योजना की 24 मीटर सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया जाना प्रस्तावित है।
2. जोन की रिपोर्ट अनुसार विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत योजना को पहुँच मार्ग हेतु 12.00 मीटर सड़क जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम भाटेड के ख.नं. 973 रकबा 0.71 हैक्ट. किस्म गै.मु.रास्ता में से प्रस्तावित की गयी है। जिसका क्षेत्रफल 580.00 व.मी. है। जिसका नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 20.02.2023 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार "टाउनशिप योजना हेतु राजकीय भूमि में से पहुँच मार्ग अनुमत करने के संबंध में :– टाउनशिप पॉलिसी–2010 आदेश दिनांक 13.10.2011 व 27.02.2021 के अनुसार टाउनशिप योजना में राजकीय भूमि (सिवायचक, रास्ता गौचर/चारागाह आदि एवं निकाय की भूमि) सम्मलित होने पर आरक्षित दर अथवा कृषि भूमि की डी. एल.सी. दर जो भी अधिक हो लेकर योजना में सम्मलित एवं पहुंच मार्ग हेतु अनुमत किया जा सकता है।" अतः प्रकरण में जविप्रा स्वामित्व की भूमि की विकासकर्ता से नियमानुसार राशि लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबध में समिति स्तर से निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
3. विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत योजना के मध्य में स्थित जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 270 रकबा 0.2023 हैक्ट. किस्म गै.मु.रास्ता में से 900.00 व.मी. भूमि योजना में सम्मलित की गयी है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 12 (सी) के अनुसार *"Allotment of Government Land within the Township Scheme- In case where Government land (Siwai Chak or Rasta, Pathway, Charagah, Land belonging to local*

	bodies (undeveloped land) etc.) having an area of 10 % of the township scheme or 25 Acres (which ever is less) is falling within the proposed township scheme area, then in order to facilitate continguous development of the scheme, Governmsent land may be allotted and in lieu of this the developer shall allot saleable developed plots to the ULB equivalent to 60 % of the land (residential and commercial in the overall ratio of the scheme). In case plotting " अतः योजना में सम्मलित उक्त जविप्रा स्वामित्व की भूमि क्षेत्रफल 900.00 व.मी. का नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2023 के कम में आवंटन किये जाने के संबध में समिति स्तर से निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 4. प्रस्तावित योजना में आवायीय भूखण्ड संख्या 25 से 47 एवं 48 से 67 के मध्य प्रस्तावित 09 मीटर सडक को टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार 12 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया जाना प्रस्तावित है। 5. प्रस्तावित योजना मानचित्र में खसरा नंबर 973/1660 किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि में प्रार्थी द्वारा कुछ भाग में सडक तथा शेष भाग में आवायीय भूखण्ड प्रस्तावित किये गए है। अतः उक्त के संबध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 6. प्रस्तावित योजना मे फुटकर व्यावसायिक दुकानों को नविवि के आदेश दिनांक 20.02.2023 के क्रम में आवेदक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया जाना प्रस्तावित है। 7. प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्ट. से अधिक होने के कारण ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के एवज में नियमानुसार भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश कमांक प.8(36)नविवि/एनएएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 20.01.2020 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार प्रस्तावित योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों के सामने 7.50 मीटर की सड़के प्रस्तावित है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया जाना प्रस्तावित है। 8. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। 9. भूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होगें।

<u>समिति का निर्णयः–</u>

समिति द्वारा पत्रावली एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया की प्रश्नगत योजना को पहुँच मार्ग हेतु 12.00 मीटर सड़क जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम भाटेड के ख.नं. 973 रकबा 0.71 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता में से प्रस्तावित की गयी है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2023 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार "टाउनशिप योजना हेतु राजकीय भूमि में से पहुँच मार्ग अनुमत करने के संबंध में :– टाउनशिप पॉलिसी–2010 आदेश दिनांक 13.10.2011 व 27.02.2021 के अनुसार टाउनशिप योजना में राजकीय भूमि (सिवायचक, रास्ता गौचर/चारागाह आदि एवं निकाय की भूमि) सम्मलित होने पर आरक्षित दर अथवा कृर्षि भूमि की डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो लेकर योजना में सम्मिलित एवं पहुंच मार्ग हेतु अनुमत किया जा सकता है"। आवेदित भूमि के मध्य से जोनल विकास योजना की 24 मीटर सडक भी गुजर रही है। अतः उपरोक्तानुसार पहुँच मार्ग को समिति द्वारा मान्य करते हुए एवं निम्न शर्तों के साथ आवासीय योजना रियासत ईको पार्क का मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्रश्नगत योजना को पहुँच मार्ग हेतु 12.00 मीटर सड़क जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 973 राजस्व ग्राम भाटेड की भूमि से प्राप्त होती है। जिसकी विकासकर्ता से नियमानुसार राशि ली जावे।
2. योजना के मध्य से गुजर रही जोनल विकास योजना की 24 मीटर सडक हेतु भूमि को जविप्रा के नाम समर्पणनामा लिया जावें।
3. योजना के मध्य में स्थित जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 270 रकबा 0.2023 हैक्ट. किस्म गै.मु.रास्ता में से 900.00 व.मी. भूमि का आवंटन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानो अनुसार विकासकर्ता को किया जावें।
4. योजना में आवायीय भूखण्ड संख्या 25 से 47 एवं 48 से 67 के मध्य प्रस्तावित 09 मीटर चौडी सडक की लम्बाई 100 मीटर से अधिक होने के कारण टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार 12 मीटर चौडी रखी जावे।
5. योजना मे फुटकर व्यावसायिक ब्लॉक के भूखण्ड की प्लानिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार की जावे।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावे।
7. योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होगें।
8. योजना में आंतरिक विकास हेतु 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जावे।
9. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू. पी./विकास शुल्क/पुर्नग्रहण आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

29/8/23

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

दिनांकः– 29/8/2023

कमांकः जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2023/डी–168

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय को अवलोकन करवाने हेतु प्रेषित है।

2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुर्नवास, जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त भूमि आवाप्ति, जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर I/II/दक्षिण I/II, जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

22/08/23

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।